Social Justice Union
Govt. Registered

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, मंगलवार 03 जनवरी 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 97

महत्वपूर्ण एवं खास

राजौरी में आतंकी पीड़ित के घर में रहस्यमय विस्फोट में बच्चे की मौत

जम्मू (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सोमवार को एक बच्चे की मौत हो गई और दो महिलाएं घायल हो गईं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि राजौरी जिले के डांगरी गांव में पीड़िता के घर में रहस्यमय विस्फोट हुआ जिसमें बच्चे की मौत हुई। विस्फोट गांव में उस जगह पर हुआ जहां रविवार शाम को आतंकवादियों ने चार नागरिकों की हत्या कर दी थी और छह अन्य को घायल कर दिया था। इस बीच, राजौरी कस्बे में आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ने सोमवार को होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है।

जोमेटो के को-फाउंडर और सीटीओ गुंजन पाटीदार ने कंपनी से दिया इस्तीफा

मुंबई (आरएनएस)। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के को-फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर गुंजन पाटीदार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गुंजन जोमैटो के शुरुआती कुछ कर्मचारियों में शामिल थे और उन्होंने कंपनी के कोर टेक सिस्टम्स को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई थी। इससे पहले नवंबर 2022 में कंपनी के एक अन्य सह-संस्थापक मोहित गुप्ता ने भी कंपनी से इस्तीफा देकर खुद को अलग कर लिया था। मोहित गुप्ता साढ़े चार साल पहले जोमैटो से जुड़े थे। 2020 में उन्हें कंपनी के फूड डिलीवरी कारोबार के सीईओ के पद से प्रमोट कर को-फाउंडर बनाया गया था। गुंजन पाटीदार के इस्तीफा देने पर कंपनी ने कहा कि पिछले दस से अधिक सालों में उन्होंने एक शानदार तकनीकी नेतृत्व टीम तैयार किया।

पन्ना में रिश्वत लेते पकड़ी गई थाना प्रभारी

पन्ना (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक थाने में पदस्थ थाना प्रभारी व एक आरक्षक को लोकायुक्त पुलिस की टीम ने पचास हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। सागर लोकायुक्त पुलिस सूत्रों के अनुसार टीम ने देवेंद्र नगर थाना में थाना प्रभारी ज्योति सिकरवार और आरक्षक अमर सिंह बागरी को कल रात्रि 50 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी आरती सिंह और एसडीओपी भी थाने पहुंच गये। इस दौरान लोकायुक्त टीम और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हुई। थाने में कई घंटे तक चले इस ड्रामे और हंगामे के बीच पहले आरक्षक अमर सिंह बागरी और कुछ देर बाद थाना प्रभारी ज्योति सिकरवार लोकायुक्त टीम को चकमा देकर वहां से गायब हो गये। लोकायुक्त टीम अपनी कस्टडी से भाग निकले आरक्षक और थाना प्रभारी को देर रात तक खोजती रही। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार खमरिया निवासी विनोद यादव ने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि दउवन टोला निवासी उसके रिश्तेदारों की एफआईआर में धाराएं घटाने और दूसरे पक्ष पर बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। थाना में लोकायुक्त टीम व पुलिस के बीच हुई झड़प के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं।

केंद्र सरकार द्वारा 2016 में की गई नोटबंदी पर सरकार का फैसला बिलकुल सही : सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार 2 जनवरी 2023 को एक बड़ा निर्णय लेते हुए नोटबंदी के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नोटबंदी पर सरकार का फैसला बिल्कुल सही था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने सरकार के इस कदम को सही ठहराते हुए नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा है कि यह निर्णय कार्यकारी की आर्थिक नीति होने के कारण उलटा नहीं जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह-मशविरा हुआ था। इस तरह के उपाय को लाने के लिए दोनों के बीच एक समन्वय था। कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने सात दिसंबर को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को निर्देश दिया था कि वे 2016 के फैसले से संबंधित सारे रिकॉर्ड उनको सौंपे। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, वी रामसुब्रमण्यन और बी वी नागरत्ना भी शामिल हैं। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम और श्याम दीवान सहित आरबीआई के वकील और याचिकाकर्ताओं के वकीलों, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की दलीलें सुनी थीं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर, 2016 को केंद्र द्वारा घोषित नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई की है। इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान 500 रुपये और 1,000 रुपये के करेंसी नोटों को

बंद करने को गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण बताते हुए वरिष्ठ वकील चिदंबरम ने तर्क दिया था कि सरकार कानूनी निविदा से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को अपने दम पर शुरू नहीं कर सकती है। ये केवल आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर किया जा सकता है।

वहीं, 2016 की नोटबंदी की कवायद पर फिर से विचार करने के शीर्ष अदालत के प्रयास का विरोध करते हुए सरकार ने कहा था कि अदालत ऐसे मामले का फैसला नहीं कर सकती है जब 'घड़ी को पीछे करने' से कोई ठोस राहत नहीं दी जा सकती है।

सही उद्देश्य एवं अच्छी नियत के तहत किया गया था नोटबंदी: भाजपा

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले सभी याचिकाओं को 4:1 बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने खारिज कर दिया है । सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष को गिरते हुए कहा कि नोटबंदी सही उद्देश्य एवं अच्छी नियत के तहत किया गया था। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नकली करेंसी टेरर फंडिंग काला धन रोकने के लिए नोटबंदी की गई थी और यह फैसला भी सही साबित हुआ। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि आरबीआई एक्ट के 26 टू में कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय प्रक्रिया को सही पाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केन्द्र सरकार को अपने आर्थिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। एक न्यायमूति नागरतना जी ने इसके खिलाफ दिया है किन्तु उन्होंने कहा कि यह नीति एक अच्छे नियत से लायी गयी थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने नोटबंदी के समय एक बड़ा हंगामा खड़ा किया था और राहुल गांधी ने विदेश में भी इस मुद्दे को उठाते हुए देश के बाहर भी भारत का मजाक बनाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष खासकर कांग्रेस नोटबंदी के समय जिस तरह से शब्दों को प्रयोग किया वह भी दुर्भाग्यपूर्ण था। नोटबंदी का उद्देश्य गरीब कल्याण और गरीबों की योजना चलाने के साथ ही अर्थव्यवस्था में स्वच्छता अभियान लाने के लिए किया गया था क्योंकि नोटबंदी से पारदर्शिता आई है। डिजिटल पेमेंट में बहुत बड़ी गति आई है अक्टूबर 2022 महीने में 370 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ और 12 लाख करो रुपया सिर्फ एक महीना में किया गया। भारत दिग्टिल पेमेंट में दुनिया में अग्रणी बना है आज गरीब आदमी भी डिजिटल पेमेंट करता है सब्जी वाला और ऑटो वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है और देता है।वित्तीय 2016-17 में नोटबंदी लाया गया और उसके अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 में टैक्स संग्रहण 18 प्रतिषत बढ़ गया। 10.03 लाख करोड़ रूप्ए का टैक्स संग्रहण हुआ।

राजस्थान में बड़ा रेल हादसा... सूर्यनगरी एक्सप्रेस के आठ डिब्बे पटरी से उतरे, कई यात्री जख्मी

जयपुर(आरएनएस)। राजस्थान में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। बांद्रा से जोधपुर जाने वाली सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे गए। यह हादसा पाली के राजकियावास के पास हुआ। बताया जा रहा है कि इस हादसे में करीब 17 लोगों को चोट आई है। हालांकि अब तक किसी के जान जाने की सूचना नहीं मिली है। घायल यात्रियों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटनास्थल पर मौजूद एक यात्री ने हादसे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, मारवाड़ जंक्शन से प्रस्थान करने के पांच मिनट के भीतर ट्रेन के अंदर कंपन की आवाज सुनाई दी और दो-तीन मिनट के बाद ट्रेन रुक गई। हम नीचे उतरे और देखा कि कम से कम आठ स्लीपर क्लास के डिब्बे पटरी से उतरे हुए थे। हालांकि 15 से 20 के अंदर घटनास्थल पर एंबुलेंस, रेलवे की टीम और पुलिस टीम आ गई। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया।

हादसे के बारे में जानकारी देते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ कप्तान शशि किरण ने बताया कि आज सुबह करीब 3.30 बजे सूचना मिली कि सूर्यनगरी एक्सप्रेस रजकियावास और बोमदरा के बीच पटरी से उतर गया है। ट्रेन के करीब 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि किसी जनहानी की सूचना नहीं। उच्चाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं. राहत-बचाव कार्य जारी है। महाप्रबंधक-उत्तर पश्चिम रेलवे एवं अन्य उच्चाधिकारी जयपुर स्थित मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।

पक्षी से टकराने के बाद शारजाह जा रहा विमान कोयंबटूर में रुका

चेन्नई (आरएनएस)। शारजाह जा रहे एयर अरेबिया के एक विमान को सोमवार को कोयंबटूर में उतारा गया। बताया जा रहा है कि दो बाज उड़ान भरने से ठीक पहले विमान के बाएं इंजन से टकरा गए।

फ्लाइट रनवे से गुजर रही थी, इस दौरान दो बाज इंजन से टकरा गए। इनमें से एक की इंजन ब्लेड से टकराने से मौत हो गई।

सभी 164 यात्रियों को विमान से उतारा गया।

कोयंबटूर से उड़ान भरने वाले विमान पर पक्षी टकराते हैं, लेकिन यह पहली बार है कि पिछले सात वर्षों में विमान को हुए नुकसान की जांच के लिए सभी यात्रियों को विमान से उतारा गया।

मीडिया को संबोधित करते हुए, कोयंबटूर हवाईअड्डे के निदेशक एस. सेंथिल वलावन ने कहा कि पक्षियों के विमान से टकराने के मामले पर काबू पाने के लिए बर्ड केयर गन्स, बर्ड चेजर और पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने समेत कई उपाय किए जाते हैं।

घास की ऊंचाई को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखा जाता है क्योंकि पक्षी आम तौर पर इसे प्रजनन स्थल के रूप में उपयोग करते हैं।

हवाईअड्डे के पास कचरा डंप करने पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि पक्षी आमतौर पर डंपिंग स्थलों पर अपना बसेरा डालते हैं।

कोयंबटूर हवाई अड्डे के अधिकारी अधिक पक्षी नियंत्रण उपायों को लागू करने की योजना बना रहे हैं और खतरे का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान संस्थानों को तैनात किया गया है।

पांच दरिंदों ने की दरिंदगी : 10 किलोमीटर से ज्यादा कार से घसीटी गई थी लड़की

❑ लड़की को कार से घसीटने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने

नई दिल्ली (आरएनएस)। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) रोहिणी की पांच सदस्यीय टीम सुल्तानपुरी में उस जगह की जांच करेगी, जहां 20 वर्षीय एक युवती का शव मिला था और उस कार की भी जांच करेगी, जिसने उसे कई किलोमीटर घसीटा था। इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। वहीं घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। चश्मदीद ने कहा कि कार सवार बदमाश लाश को लेकर घूमते रहे हैं। दर्दनाक घटना से लोगों में गुस्सा है, गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया।

लोगों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। वो पांच दरिंदे कार में सवार थे। लडक़ी स्कूटी पर जा रही थी। दिल्ली के दरिंदों ने पहले उसे जोरदार टक्कर मारी और फिर 4 किलोमीटर तक सडक़ पर घसीटते हुए ले गए। वो उसे तब तक घसीट रहे, जब तक कि वो लडक़ी मुर्दा जिस्म में तब्दील नहीं हो गई। जब लडक़ी की लाश पुलिस ने बरामद की, तो उसके जिस्म पर कोई कपड़ा तक नहीं था। लाश हालत ऐसी थी कि दिल दहल जाए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि जैसे ही गाड़ी यू-टर्न लेती है कुत्ता रुक जाता है। वीडियो में दिख रहा है कि वह जाती हुई कार की तरफ देख रहा है। इसी दौरान पीछे से एक और कुत्ता वहां पहुंच जाता है। जब कार नहीं रुकती है तो कुत्ता वहां से जाता दिख रहा है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार फोरेंसिक विशेषज्ञों को भी अपराध के ²श्य, शामिल वाहनों की जांच करने और सभी प्रासंगिक भौतिक, जैविक और अन्य साक्ष्य एकत्र करने के लिए शामिल किया गया है।

अमित शाह ने तलब की दिल्ली के जघन्य कांड की रिपोर्ट- कंझावला केस पर गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से जल्द रिपोर्ट तैयार कर सौंपने को कहा है। दिल्ली के बाहरी इलाके कंझावाला में बीती देर रात हुए भीषण हादसे में मारी गई महिला को एक कार में सुल्तानपुरी से कंझावला तक 10 से 12 किमी तक घसीटा गया। विशेष पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था सागर प्रीत हुड्डा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम कराने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा, आरोपी को मनोरंजन के लिए अपराध स्थल पर ले जाया जाएगा। विस्तृत पूछताछ होगी और सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल सबूत के आधार पर समय सीमा तय की जाएगी। आरोपी की कहानी का सत्यापन किया जाएगा। हुड्डा ने कहा, पीड़ित परिवार को सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल सबूतों के आधार पर जांच के बारे में अपडेट किया जा रहा है।

इस बीच, दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने ट्विटर पर आश्वासन दिया कि सुल्तानपुरी दुर्घटना मामले में आरोपियों के खिलाफ तथ्यों के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया, बाहरी दिल्ली के कंझावला इलाके में एक लडक़ी की सडक़ पर मौत का मामला दुखद है। सभी पांच मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की जांच में कई टीमें लगी हुई हैं। दिल्ली पुलिस परिवार के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में है।

पंजाब सीएम के घर के पास मिला बम, पुलिस ने पूरा इलाका किया सील

चंडीगढ़ (आरएनएस)। सेक्टर 2 में राजिंदरा पार्क में सोमवार को दोपहर जिंदा बम मिलने से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। इस पार्क के पास ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और हरियाणा के सीएम मनोहरलाल खट्टर के निवास हैं। कुछ ही दूरी पर हेलीपेड भी, जहां पंजाब के सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड करता है। खबर आने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। चंडीगढ़ पुलिस की अलग अलग टीमें बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड लेकर पहुंच गए हैं। तलाशी जारी है। बम को चारों तरफ से कवर दिया गया है। वहीं चंडीमंदिर में आर्मी को इसकी जानकारी दे दी गई है। आर्मी की बम डिस्पोजल टीम भी चंडीगढ़ पहुंच गई

है। जानकारी के मुताबिक, राजिंदरा पार्क में आम के बाग में यह बम पड़ा हुआ मिला था। यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में आता है। इधर से गुजर रहे किसी राहगीर को यहां बम जैसी वस्तु दिखी थी। इसकी सूचना उसने 100 नंबर पर पुलिस को दी। खबर लगते ही इस इलाके के पुलिस अधिकारी और चंडीगढ़ की डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मौके पर पहुंच गई है। जांच के बाद यहां एक जिंदा बम मिला है।

हल्दवानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला सुप्रीम कोर्ट पुहंचा, 5 जनवरी को सुनवाई

हल्दवानी (आरएनएस)। हल्द्वानी रेलवे भूमि का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई 5 जनवरी 2023 को होगी। अब 5 हजार से अधिक लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। दरअसल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के शराफत खान समेत 11 लोगों की याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद की ओर से दाखिल की गई। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 5 जनवरी 2023 को सुनवाई करने को कहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश समेत कई लोग वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद के साथ मौजूद रहे।

आपको बता दें कि मामले में अतिक्रमणकारियों को रेलवे नोटिस जारी कर चुका हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 7 दिन के अंदर जगह खाली कर दें, नहीं तो जबरदस्ती अतिक्रमण हटाएगा। उस पर आने वाला खर्च कब्जेदारों से वसूला जाएगा।

नोटिस जारी होने से एक दिन पहले रेलवे की टीम ने पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में बनभूलपुरा अतिक्रमण क्षेत्र की ड्रोन मैपिंग की। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि दो घंटे तक ड्रोन से काम किया गया, जिसके बाद रेलवे ने अपनी भूमि से जुड़े सभी हिस्सों की मैपिंग पूरी कर ली। ड्रोन के माध्यम से भवनों की पूरी फोटो और वीडियोग्राफी हो चुकी है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बनभूलपुरा से अवैध निर्माण हटाने को तैयारी शुरू हो गई है।

हाईकोर्ट के आदेश पर बनभूलपुरा क्षेत्र से रेलवे की करीब 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया जाना है। इस दौरान अतिक्रमण की जद में करीब 4365 घर आ रहे हैं।

राजस्थान के राजभवन में संविधान उद्यान का आज लोकार्पण करेंगी राष्ट्रपति

जयपुर (आरएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु राजभवन में नवनिर्मित संविधान उद्यान एवं इससे जुड़े सौंदर्यीकरण कार्यों का 3 जनवरी मंगलवार को लोकार्पण करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मु राजभवन में कथौड़ी एवं सहरिया आदिवासी समूहों के साथ संवाद भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मंगलवार प्रात: 11.20 बजे यहां स्थापित मयूर स्तम्भ, फ्लैग पोस्ट, गांधी प्रतिमा एवं महाराणा प्रताप की अपने घोड़े चेतक के साथ विश्रान्ति मुद्रा में स्थापित प्रतिमा का अवलोकन करेंगी। इसके पश्चात वे संविधान पार्क का लोकार्पण एवं अवलोकन करेंगी।

जेलर को धमकी देने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की सजा पर लगाई रोक

नई दिल्ली (आरएनएस)। 2003 में एक जेलर को धमकी देने और उस पर पिस्तौल तानने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया गया था और सात साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद हैं।

जस्टिस बी.आर. गवई और विक्रम नाथ की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। गैंगस्टर-राजनेता अंसारी ने हाईकोर्ट

द्वारा उसे दोषी ठहराए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

हाईकोर्ट ने पिछले साल सितंबर में अंसारी को इस मामले में बरी करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने जेलर के सबूतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और केवल उसकी जिरह पर विचार किया था। उन्होंने अंसारी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353, 504 और 506 के तहत दोषी पाया था।

हाईकोर्ट ने धारा 353 के तहत अपराध के लिए अंसारी को दो साल के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना और धारा 504 के तहत अपराध के लिए दो साल की जेल और 2,000 रुपये का जुर्माना और धारा 506 के तहत अपराध के लिए सात साल की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

ट्रायल कोर्ट का ²ष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत था और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश अस्थिर था।

2003 में, लखनऊ जिला जेल के जेलर ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी का आदेश देने के लिए उन्हें धमकी दी गई थी। जेलर ने यह भी दावा किया कि अंसारी ने उस पर पिस्तौल तान दी थी। निचली अदालत द्वारा अंसारी को बरी किये जाने के बाद राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय का रूख किया था।